# 1न्त्

### कार्यालय आदेश

रकुली शिक्षा एवं साझरता विभाग, झारखण्ड एाँची की अधिशूचना संख्या—434, दिनाक—01.03.2016 द्वारा प्रख्यापित झारखण्ड सरकारी माध्यभिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमायली 2015 के आलोक में झारखण्ड कर्मचारी तयन आयोग, राँची के विद्यापन संख्या 21/2016 द्वारा संयुक्त रनातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता प्रीक्षा 2016 के वर्धिक्षाकल एवं कांडिसिलिंग के उपरान्त द्वारखण्ड कर्मचारी नयन आयोग, राँची द्वारा रनातक प्रशिक्षित शिक्षक (सीदी भत्ती) एवं झारखण्ड सरकार के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की रनातक प्रशिक्षित शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए कुल—391 में से 378 अनुशसित अध्यार्थियों को उपायुक्त गिरिटीह की अध्यक्षता में जिला शिक्षा स्थापना समिति की बैठक दिनांक—26.06.2019 एवं दिनांक 22.07.2019 को लिए गए निर्णय के आलोक में विनन्धान 9300—34600, ग्रेड पे 4600 एवं सरकार द्वारा स्वीकृत अन्य मता के साथ अस्थायी रूप से योगदान की तिथि से निम्नांकित शर्तों के अधीन शिक्षक पद पर नियुक्त कर उनके नाम के साथने अकित विद्यालय में परस्थापित किया जाता है—

अभ्याची वन नाम	पिसा का नाम	अनुक्रमांक	विषय	शोधी वर्ती / प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक	चयनित कोडि (UR/SC/ST/ BC-I/BC-II)	पदस्थापित विद्यालय का नाम
AJAY KUMAR PAINDEY	BRU BIHARI PANDEY	11121118189	शारीरिक शिक्षा	सीधी भरती	UR	H.S. GANDEY, GRD

1. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है।

 योगदान के पश्चात् दो वर्षों की सेवा परीक्ष्यमान अवधि की होगी संतोषप्रद सेवा के आधार पर उनकी सेवा संपृष्टि पर विचार किया जाएगा।

असंबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक योगदान करने वाले शिक्षक / शिक्षिका को दो दिनों के अन्दर उनकी शैक्षणिक / प्रशैक्षणिक / आवासीय / जाति प्रमाण पत्र आदि का मिलान सम्बंधित मूल दस्तावेज से कर लेंगे। मूल दस्तावेज से मिलान करते समय किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने की स्थिति में उसकी सूचना अविलम्ब अघोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करेंगे। अन्यथा की स्थिति में सारी जवाबदेही संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक की होगी।

4 अम्यर्थी द्वारा उपस्थापित शैक्षणिक / प्रशैक्षणिक प्रमाण-पत्र एवं अन्य कागजात की जॉच संबंधित बोर्ड / संस्था एवं विश्वविद्यालय से कराए जाने के पश्चात् उनका कोई भी प्रमाण-पत्र या कागजात जाली पाए जाने की स्थिति में बिना सूचना के किसी भी समय उनकी नियुक्ति रह कर दी जायेगी और उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

5. जॉब्बोपरान्त यह पाए जाने पर कि वे मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किए हैं तो उनकी नियुक्ति बिना सूचना के किसी भी समय समाप्त कर दी जाएगी और उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

 योगदान के समय मुख्य असैनिक शल्य विकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त विकित्सा प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा तथी उनका योगदान स्वीकृत हो सकेगा।

योगदान के समय अभ्यर्थी को इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि वे न तो दहेज लेंगे और न ही दहेंज देगें तथा वे किसी फौजदारी मुकदमें में न्यायालय द्वारा दिण्डत नहीं किए यए हैं और न ही उनके विरूद्ध ऐसा कोई मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन नहीं है जिसमें उन्हें मृत्युदण्ड अथवा सात वर्षों की सजा दिये जाने की समावना है।

July

- ्र विवृत्ताः कार्यो को दिलाक-31.07.2018 राक अपना गोगतान तथ प्रकाराधित (केसालय में रामाविक रामाधित दावना होगा अन्यास कारण नहीं होने की विश्वति में उनकी निमृतित रवार्च समाध्ये समझी जाएगी।
- ह सीमदान हेतु कोई वार्थ व्यय अध्यक्ष यात्रा मता देव नहीं होगा।

19 श्रीवांचिक/प्रतिविधक/जाति प्रमाण यत्र/जावातीय प्रमाण पत्र सर्ववित बार्च/सरधा से शरकायनोपशन्त सही होने एवं मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्था से प्रविद्याण प्राप्त करने संबंधी तथ्य की सम्पृष्टि होने के पश्चात ही वेतन भूमतान की कार्रमाई की जाएती।

11 विद्यालय के अवकाश के दिनों में भी इन नवनियुक्त शिक्षकों को विभागीय प्रशिक्षण / श्रमताबर्धन कार्यक्रम हेतु प्रतिनिथुक्त किया जा सकेगा तथा उनके प्रशिक्षण में सहमागिता

अनिवार्य होगी।

12 तबनियुक्त शिक्षकों की सेवा पुश्तिका, आयोग द्वारा प्राप्त जनके मूल दस्तायेजी एन

अकित हस्ताकर से मिलान कर अयोगस्ताक्षरी कार्यालय हारा खोला जाएगा।

13. नव नियुक्त शिक्षक की सेवा किस विभाग, धारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या 518 वि० दिनांक-09.12.2004 द्वारा प्रख्यापित झारखण्ड सरकार सरकारी कर्मधारी अंशदायी पंथान योजना 2004 के अधीन अंशदाबी पेशन प्रदायी होगी। इसके लिए निर्धारित बिहित प्रयत्र में आवेटन टेंगे।

14. अञ्चर्धी उपरोक्त सभी निर्देशों / शतों की जानकारी प्राप्त कर उसे पूरा करने के संबंध में आश्यस्य होने के पश्चात ही योगदान करें में अन्यथा किसी शर्त को पूरा नहीं करने हेतु वे स्बंध जिम्मेबार होंगे तथा उनकी नियुक्ति बिना किसी कारण पुचल के समाप्त की जा सकती है। 80/-

> जिला फिला पदाचिकारी. गिरिकीह ।

जिला शिक्ष पदाधिकारी

विविद्यीह (

आयाक 2454 / मिरिटीड, दिनांक 24 / 07 / 2019

प्रतितिथि:-संबंधित नव नियुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक /शिक्षिका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक एवं संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/संबंधित क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी एवं प्रखण्ड शिक्षा प्रसार षदाधिकारी को स्चनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, गिरिडीह को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-उपायुक्त, गिरिडीह/क्षेत्रीय शिक्षा उप निदशेक, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल हजारीबाग की सेवा में सूचनार्थ सादर समर्पित।

प्रतिलिधि:-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा एवं प्रधान सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षणता विभाग झारखण्ड रॉची की सेवा में सचनार्थ सादर समर्पित।

# कार्यालय- जिला शिक्षा पदाधिकारी, गिरिडीह

पुराता केल परिसर, हरून मैदान के उपने छिड़िके - 815301, क्रीन केल - 06532-250043.221322 e mail deogradibe gmail.com

## कार्यालय आदेश

रकूली शिक्षा एव साक्षरता विभाग, झारखण्ड राँची की अधिसूचना संख्या-434, दिनाक-01 03 2016 द्वारा पख्यापित झारखण्ड सरकारी गांच्यागिक विद्यालय शिक्षक नियुनित एव सेवा शर्त नियमावली 2015 के आलोक में झारखण्ड कर्मचारी वयन आयोग, राँची के विद्यापन संख्या 21/2016 द्वारा संयुक्त स्नातक पशिक्षित शिक्षक पतियोगिता परीक्षा 2016 के परीक्षाणल एव काँचिसिलग के उपरान्त झारखण्ड कर्मचारी वयन आयोग, राँची द्वारा स्नातक पशिक्षित शिक्षक (सीधी भर्ती) एव झारखण्ड सरकार के पाथिमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की स्नातक पशिक्षित शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए कुल-391 में री 378 अनुशसित अभ्यर्थियों को उपायुक्त, गिरिडीह की अध्यक्षता में जिला शिक्षा स्थापना समिति की बैठक दिनाक-26 06 2019 एव दिनांक 22 07 2019 को लिए गए निर्णय के आलोक में वैतनमान 9300-34800, मेंड पे 4600 एव सरकार द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ता के साथ अस्थायी रूप से योगदान की तिथि से निम्नाकित शर्तों के अधीन शिक्षक पद पर नियुक्त कर उनके नाम के सामने अकित विद्यालय में पदस्थापित किया जाता है—

अभ्यशी का नाम	धिता का नाम	अनुक्रमांक	বিশয	सीधी भर्ती/ पाथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक	चयनित कोटि (UR/SC/ST/ BC-I/BC-II)	पदस्थापित विद्यालय का नाम
DR AJAY KUMAR PANDEY	BRU BIHARI PANDEY	11121118189	शारीरिक शिक्षा	सीची भत्ती	UR	H.S. GANDEY, GRD

शते -

गह नियुक्ति पूर्णत अस्थायी है।

योगदान के पश्चात् दो वर्षों की सेवा परीक्ष्यमान अविध की होगी संतोषपद सेवा के आधार पर उनकी सेवा संपुष्टि पर विचार किया जाएगा।

- उ सबिधत विद्यालय के प्रधानाध्यापक योगदान करने वाले शिक्षक/शिक्षिका को दो दिनों के अन्दर उनकी शैक्षणिक/पशैक्षणिक/आवासीय/जाति प्रमाण पत्र आदि का मिलान सम्बिधत मूल दस्तावेज से कर लेंगे। मूल दस्तावेज से मिलान करते समय किसी प्रकार की तुटि पाए जाने की स्थिति में उसकी सूचना अविलम्ब अघोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करेंगे। अन्यथा की स्थिति में सारी जवाबदेही सबिधत विद्यालय के प्रधानाध्यापक की होंगी।
- 4 अभ्यर्थी द्वारा उपस्थापित शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक प्रमाण-पत्र एवं अन्य कागजात की जाँच सबिधत बोर्ड/संस्था एवं विश्वविद्यालय से कराए जाने के पश्चात् उनका कोई भी प्रमाण-पत्र या कागजात जाली पाए जाने की स्थिति में बिना सूचना के किसी भी समय उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी और उनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
- 5. जोंचोपरान्त यह पाए जाने पर िक वे मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किए हैं तो उनकी नियुक्ति बिना सूचना के किसी भी समय समाप्त कर दी जाएगी और उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

6. योगदान के समय मुख्य असैनिक शल्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा तभी उनका योगदान स्वीकृत हो सकेगा।

गं योगदान के समय अभ्यर्थी को इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि वे न तो दहेज लेगे और न ही दहेज देगे तथा वे किसी फौजदारी मुकदमें में न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किए गए हैं और न ही उनके विरूद्ध ऐसा कोई मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन नहीं हैं जिसमें उन्हें मृत्युदण्ड अथवा सात वर्षों की सजा दिये जाने की संभावना है।

Ou.

- ृ8 नियुक्त अभ्यर्थी को दिनांक-31.07.2019 तक अपना योगदान नव पदस्थापित विद्यालय में समर्पित करना होगा अन्यथा कारण नहीं होने की स्थिति में उनकी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जाएगी।
  - योगदान हेतु कोई मार्ग व्यय अथवा यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
  - 10 शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक/जाति प्रमाण पत्र/आवासीय प्रमाण पत्र संबंधित बोर्ड/संस्था से सत्यापनोपरान्त सही होने एवं मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्था से प्रशिक्षण प्राप्त करने संबंधी तथ्य की सम्पुष्टि होने के पश्चात् ही वेतन भुगतान की कार्रवाई की जाएगी।
  - 11 विद्यालय के अवकाश के दिनों में भी इन नवनियुक्त शिक्षकों को विभागीय प्रशिक्षण/ क्षमतावर्धन कार्यक्रम हेतु प्रतिनियुक्त किया जा सकेगा तथा उनके प्रशिक्षण में सहमागिता अनिवार्य होगी।
  - 12 नवनियुक्त शिक्षकों की सेवा पुरितका, आयोग द्वारा प्राप्त उनके मूल दस्तावेजों एवं अंकित हस्ताक्षर से मिलान कर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय द्वारा खोला जाएगा।
  - 13. नव नियुक्त शिक्षक की सेवा वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या—518 वि० दिनांक—09.12.2004 द्वारा प्रख्यापित झारखण्ड सरकार सरकारी कर्मचारी अंशदायी पेंशन योजना 2004 के अधीन अंशदायी पेंशन प्रदायी होगी। इसके लिए निर्धारित विहित प्रपत्र में आवेटन टेंगे।
  - 14. अभ्यर्थी उपरोक्त सभी निर्देशों / शर्तों की जानकारी प्राप्त कर उसे पूरा करने के संबंध में आश्वस्त होने के पश्चात् ही योगदान करेंगे अन्यथा किसी शर्त को पूरा नहीं करने हेतु वे स्वंय जिम्मेवार होंगे तथा उनकी नियुक्ति बिना किसी कारण पृच्छा के समाप्त की जा ह0 / सकती है।

जिला शिक्षा पदाधिकारी, गिरिडीह।

ज्ञापांक 2454 / गिरिडीह, दिनांक 24 / 07 / 2019 प्रतिलिपि: – संबंधित नव नियुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक / शिक्षिका को सूचनार्थ एवं आवश्यक

प्रतिलिपि:—संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक एवं संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/संबंधित क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी एवं प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः—कोषागार पदाधिकारी, गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। प्रतिलिपिः—उपायुक्त, गिरिडीह/क्षेत्रीय शिक्षा उप निदशेक, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल हजारीबाग की सेवा में सूचनार्थ सादर समर्पित।

हजाराबाग का सवा न सूचनाञ्च सावर समापित। पूर्व साक्षरता विभाग, प्रतिलिपि:-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा एवं प्रधान सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड राँची की सेवा में सूचनार्थ सादर समर्पित। जिला शिक्षा पदाधिकारी.

Scanned by CamScanner

पिसित प्राप्त गिरिडीह किए (७७)

#### Govt. of Jharkhand **EDUCATION** Salary Slip - Jan 2020 Salary Bill No.: 42/2019-20 DDO CODE GRDEDN219 Employee GPF No.: 110184212078 Employee A/C No.: 30221988926 Employee Name AJAY KUMAR PANDEY Designation: Trained Graduate Teacher Grade III CAJPP2849D PAN No.: Pay Level: 102 17/02/2020 TV Date: TV No.:

Allowances		
₹44,900.00		
₹7,633.00		
₹3,592.00		
₹1,000.00		
₹57,125.00		

Deduction		
GLI	₹60.00	
PROF TAX	₹175.00	
CPF	₹5,253.00	
Total	₹5,488.00	

Recovery			
Total	0.00		

Net Pay: 51637 (Rs. Fifty One Thousand Six Hundred Thirty Seven Only)

DDO's Signature